

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि०न० - 132/2022

अनवान : -

1. सुरेन्द्र पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।



वादी

बनाम

1. लालचंद पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक नेठराना।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री विनोद सिंगाठिया वादीगण
श्री सुरेन्द्र गढवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 20-9-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक चक 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 72/70 के मु० न० 36 के किला न० 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 49 किला न० 03/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, मु० न० 37 किला न० 20, 21, मु० न० 48 किला न० 1/1, 1/2, 2/1 कुल रकबा 3.0740 है० जिसमें नहरी 2.9220 है०, गै० मु० खाला 0.1520 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 लालचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कागुरी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं० 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया व प्रतिवादी सं० 3 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेन्द्र पुत्र लालचंद के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक चक 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 72/70 के मु० न० 36 के किला न० 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 49 किला न० 03/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, मु० न० 37 किला न० 20, 21, मु० न० 48 किला न० 1/1, 1/2, 2/1 कुल रकबा 3.0740 है० जिसमें नहरी 2.9220 है०, गै० मु० खाला 0.1520 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 लालचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी सुरेन्द्र 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 लालचंद 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक चक 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 72/70 के मु० न० 36 के किला न० 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 49 किला न० 03/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, मु० न० 37 किला न० 20, 21, मु० न० 48 किला न० 1/1, 1/2, 2/1 कुल रकबा 3.0740 है० जिसमें नहरी 2.9220 है०, गै० मु० खाला 0.1520 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 लालचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 लालचंद की बजाय वादी सुरेन्द्र 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 लालचंद 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-9-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में किया गया।




(शक्तान्त चौधरी) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भारत जिला-हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 132/2022

अनवान : -

1. सुरेन्द्र पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम


1. लालचंद पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक नेठराना।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक चक 5 बी.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 72/70 के मु० न० 36 के किला न० 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 49 किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, मु० न० 37 किला न० 20, 21 मु० न० 48 किला न० 1/1, 1/2, 2/1 कुल रकबा 3.0740 है० जिसमें नहरी 2.9220 है०, गै० मु० खाला 0.1520 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 लालचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मैं तन्हा प्रतिवादी सं० 1 लालचंद की बजाय वादी सुरेन्द्र 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 लालचंद 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-9-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
अमावसाधिकारी (राजस्व) भादरा
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)